सं0-सू0आ0-334/23-5-13
17(सू)ई0ओ0/10

सं0—सू0स0-9 / 43—2—2013

प्रेषक,

प्रभात कुमार सारंगी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उततर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 **लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2013**

विषयः— सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनाओं को प्रत्येक लोक प्राधिकरण को मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता है।

इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गयी सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। अनुश्रवण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों की वेबसाइट पर शासन स्तर की सूचना अपलोड की गई है किन्तु उनके अधीन अन्य लोक प्राधिकरण यथा निदेशालय स्तर की सूचना अपलोड नहीं की गई है। इसी प्रकार कतिपय विभागों की वेबसाइट पर निदेशालय या अन्य स्तर की सूचना अपलोड की गई है किन्तु शासन स्तर की सूचना अपलोड नहीं की गई है अथवा 16 बिन्दुओं पर सूचना अपलोड न करके कुछ बिन्दुओं से संबंधित सूचना ही अपलोड की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित है जिसकी चौथी बैठक दिनॉक 04 अप्रैल, 2013 को सम्पन्न हुई जिसका कार्यवृत्त आप सभी को प्रेषित किया जा चुक है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बैठक में दिये ग निर्देशानुसार प्रत्येक विभाग अपनी वेबसाइट का अवलोकन कर लें तथा यह सुनिश्चि कर लें कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखि सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड है अथवा नहीं। जिन विभागों की पूर्ण सूच

(एम0 पी0 अग्रवाल)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(आर0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2013 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :– संलग्नक के अनुसार।

बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बैठक में उपस्थिति 21 विभागों के अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दंडादेशों की स्थिति से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। तत्पश्चात मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के दण्ड के प्रकरणों तथा आरोपित दण्ड की धनराशि का अवलोकन किया गया तथा आयोग के आदेशों के कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन करना हमारा दायित्व है तथा अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित सूचना को छोड़कर नियमानुसार वांछित सूचना मांगने पर समयान्तर्गत प्रदान करनी चाहिए। अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्रदत्त अर्थदण्ड की वसूली तत्परतापूर्वक की जाय।

मुख्य सचिव द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1 जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध पारित दंडादेशों के कियान्वयन एवं वसूली की समीक्षा।

उक्त बिन्दु के संबंध में यह निर्देश दिया गया कि दण्डादेशों एवं अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में मासिक प्रारूप बनाया जाये तथा विभागों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जाय। प्रत्येक विभाग में इस संबंध में समन्वय कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि अर्थदण्ड की वसूली वेतन बिल बनाते समय की जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा–4(1) (बी) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों की 16 बिन्दुओं की सूचनाओं में विभागवार अद्यतन स्थिति।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विभागों की धारा–4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचनायें प्रदर्शित एवं अपलोड नहीं की गयी हैं, उन विभागों द्वारा अपने समस्त लोक प्राधिकरणों की सूचनायें बेवसाइट पर अपलोड की जाय तथा विभागों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कर एक माह में अनुपालन आख्या मांगी जाय।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों की संख्या व उनके निस्तारण की स्थिति) तथा प्रपत्र 'स' (उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड तथा उनकी वसूली की स्थिति) की 'सूचना विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्शित करना।

उक्त के सम्बन्ध में प्रपत्र 'अ' तथा 'ब' एवं 'स' की सूचना विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4 उ0प्र0 सूचना आयोग में सचिव का पद भरा जाना।

उक्त के सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद पर नियुक्ति के संबंध में अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सचिव का पद शीघ्र भरा जाय।

(कार्यवाही–नियुक्ति विभाग द्वारा)

राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारियों को सुनवाई हेतु भेजे जाने वाला नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाय। क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत Default की जिम्मेदारी व्यक्तिगत प्राविधानित की गयी है।

(कार्यवाही राज्य सूचना आयोग)

धन्यवाद सहित बैठक समाप्त।

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
संख्याः 97 /43–2–2013
लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य स्तरीय समिति के सदस्यगण।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
अनु सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत धारा–4(1)(बी) की सूचनाओं की 16 श्रेणिओं को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में विभागवार अद्यतन स्थिति

क्रमांक	विभाग का नाम	Information of Government and Directorate level Fully Uploaded on Website	Partially Uploaded on Website	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	अतिरिक्त उर्जा स्रोत	√		–
2.	प्रशासनिक सुधार	√		–
3.	कृषि	√		–
4.	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
5.	समग्र ग्राम विकास	√		पूर्ण सूचना नागरिक अधि0 पत्र में उपलब्ध
6.	पशुधन		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
7.	नियुक्ति	√		–
8.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	√		–
9.	बेसिक शिक्षा	√		–
10	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	√		–
11	कारागार, प्रशासन एवं सुधार	√		–
12.	नागरिक उड्डयन	√		–
13.	कर एवं निबन्धन		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। मनोरंजन कर व स्टाम्प रजिस्ट्रेशन निदेशालय की पूर्ण सूचना एवं वाणिज्य कर के जन सूचना अधि0/अपीलीय अधि0 की सूचना उपलब्ध।
14.	गृह एवं गोपन	√		–
15.	सहकारिता	√		–
16.	समन्वय	√		–
17.	संस्कृति	√		–

18.	दुग्ध		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
19.	धर्मार्थ कार्य	√		–
20.	निर्वाचन	√		
21.	ऊर्जा	√		
22.	पर्यावरण	√		
23.	राज्य सम्पत्ति	√		
24.	आबकारी		√	शासन की आंशिक सूचना व निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध। सूचना अपडेट नहीं।
25.	वाह्य सहायतित परियोजना	√		
26.	वित्त		√	शासन स्तर पर जन सूचना अधि0/अपीलीय अधि0 की सूचना एवं समस्त निदेशालयों की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
27.	मत्स्य		√	शासन स्तर पर जन सूचना अधि0/अपीलीय अधि0 की सूचना उपलब्ध। । निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध। सूचना अपडेट नहीं।
28.	खाद्य एवं रसद	√		–
29.	वन	√		–
30.	सामान्य प्रशासन	√		–
31.	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल	√		–
32.	विकलांग कल्याण	√		–
33.	हथकरघा वस्त्र उद्योग	√		–
34.	उच्च शिक्षा	√		–
35	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
36.	आवास एवं शहरी नियोजन	√		–
37.	औद्योगिक विकास	√		–
38.	सूचना	√		–
39.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	√		–
40.	अवस्थापना विकास	√		–
41.	सिंचाई	√		–
42.	खादी एवं ग्रामोद्योग		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

43.	श्रम	√		निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
44.	भूमि विकास एवं जल संसाधन		√	–
45.	भाषा	√		शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। शारदा व राम गंगा कमाण्ड की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
46.	न्याय	√		–
47.	चिकित्सा शिक्षा		√	–
48.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	√		शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
49.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	√		–
50.	राष्ट्रीय एकीकरण	√		–
51.	पंचायती राज	√		–
52.	संसदीय कार्य	√		–
53.	कार्मिक	√		–
54.	नियोजन	√		–
55.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	√		–
56.	प्रोटोकाल	√		–
57.	सार्वजनिक उद्यम	√		–
58.	लोक निर्माण	√		–
59.	राजस्व	√		–
60.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान		√	शासन एवं निदेशालय स्तर पर जन सूचना अधि0/अपीलीय अधि0 की सूचना है एवं कार्य का आंशिक विवरण है और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
61.	ग्राम्य विकास		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
62.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	√		
63.	राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय स्तर पर राजनैतिक पेंशन की पूर्ण सूचना उपलब्ध व नागरिक सुरक्षा की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
64.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	√		

65.	माध्यमिक शिक्षा		√	शासन व परिषद की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
66.	सचिवालय प्रशासन	√		–
67.	रेशम	√		–
68.	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
69.	समाज कल्याण	√		–
70.	खेलकूद	√		–
71.	प्राविधिक शिक्षा	√		–
72.	पर्यटन	√		–
73.	परिवहन	√		–
74.	पुनर्गठन समन्वय	√		–
75.	नगर विकास	√		–
76.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	√		–
77.	विधायी	√		–
78.	सतर्कता	–	–	अधिनियम लागू नहीं होता है।
79.	महिला एवं बाल विकास	√		–
80.	युवा कल्याण	√		–
81.	होमगार्ड		√	शासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। निदेशालय की पूर्ण सूचना उपलब्ध।
	योग	63	17	